



कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र -I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

337

सं०.एल०ए०/एस०एस०-1/श०स्था० नि०/14486/2238

दिनांक- 27/02/15

सेवा में,

Spl. Secy.

नगर आयुक्त
नगर निगम, मुंगेर

महाशय,

नगर निगम, मुंगेर के वर्ष 2013-14 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं० 531/14-15 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर निगम बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

- ६० -

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श०स्था०नि०/सामाजिक प्रक्षेत्र-1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं०-एल०ए०/एस.एस.-1/श०स्था०नि०/14486/2240

दिनांक- 27/02/15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, मुंगेर

27/02/15

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श०स्था०नि०/सामाजिक प्रक्षेत्र-1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

30/10
191
10/5/15

नगर निगम मुंगेर
अंकेक्षण प्रतिवेदन सं.-531/14-15

भाग -I

1. प्रस्तावना

मुंगेर, नगर निगम के वर्ष 2013-14 के लेखाओं का नमूना लेखापरीक्षा, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, समाजिक प्रक्षेत्र सह स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना के एक लेखापरीक्षा दल द्वारा दिनांक 22.04.14 से 17.05.14 की अवधि में किया गया।

2. प्रशासन

(i) अध्यक्ष

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमती कुमकुम देवी	01.04.13 से 31.03.14

(ii) उपाध्यक्ष

क्र०सं०	नाम	अवधि
1.	सुश्री बेबी चंकी	01.04.13 से 31.03.14

(iii) नगर आयुक्त

क्र०सं०	नाम	अवधि
1.	श्री एस०एन० झा	01.04.13 से 18.02.14
2.	श्री प्रभात कुमार सिन्हा	19.02.14 से 31.03.14

3. कार्यपालक पदाधिकारी से वार्तालाप

लेखापरीक्षा के दौरान उठाये गये आपत्तियों पर नगर आयुक्त से समय-समय पर चर्चा की गई एवं महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर अंतिम रूप से वार्ता दिनांक 17.05.14 को की गयी।

4. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत एवं नमूना जाँच किये गये पंजियो एवं अभिलेखों की सूची परिशिष्ट -I में तथा अप्रस्तुत अथवा असंधारित पंजियो एवं अभिलेखों की सूची परिशिष्ट -II में दिया गया है।

5. वित्तीय अधिदृश्य

मुंगेर नगर निगम को राज्य सरकार एवं आंतरिक संसाधनों से आय प्राप्त होती है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में नगर निगम की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित थी -

1335

क्र० सं०	विवरण	प्रारम्भिक शेष	अनुदान/प्राप्ति	ब्याज	अन्य प्राप्ति	कुल प्राप्ति	व्यय	अन्तशेष
1.	P/L खाता	60205707.49	289220585	—	—	349426292.49	104466576	244959716.49
2.	तेरहवीं वित्त आयोग	27637150	26241422	905442	—	54784014	40555640	14228374
3.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (विशेष अंगिभूत)	3456445	635883	132774	—	4225102	—	4225102
4.	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	44677903	—	1337706	82521	46098130	6041111	40057019
5.	एम०पी० फण्ड	361892	—	22212	—	384101	—	384101
6.	एम०एल०ए० फण्ड	2487794	—	99809	—	2587603	248537	2339066
7.	एस०जे०एस० आर०वाई०	13565068	—	782267	—	14347335	132112	14215223
8.	कबीर अन्तयेष्ठी	1695928	1101000	88002	—	2884930	300004	2584926
9.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (सामान्य)	71981286	5827538	2915309	—	80724133	15508901	65215232

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट- VI पर)

बैंक/ कोषागार शेष का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र०सं०	विवरण	बैंक का नाम व पता	खाता सं०	31.03.2014 को बैंक शेष	31.03.2014 को रोकड़ शेष	अंतर
1.	P/L खाता	मुंगेर कोषागार	PLA 049	24,5287386.49	244959716.49	327670
2.	तेरहवीं वित्त आयोग	SBI मुंगेर	32701280278	14228374	14228374	—
3.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (विशेष अंगिभूत)	Uco Bank मुंगेर	4280110010020	4225102	4225102	—
4.	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	SBI मुंगेर	32701274286	40057019	40057019	—
5.	एम०पी० फण्ड	Uco Bank, मुंगेर	4280100011202	384104	384104	—
6.	एम०एल०ए० फण्ड	Canara Bank मुंगेर	141101009634	2339066	2339066	—
7.	एस०जे०एस० आर०वाई०	Canara Bank तथा	141101009946 326000100379500	14215223	14215223	—

		PNB मुंगेर				
8.	कबीर अन्तयेष्टी	Allahabad Bank मुंगेर	50103553559	2584926	2584926	—
9.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (सामान्य)	CBI तथा Allahabad Bank मुंगेर	3113772446 50079158135	65215232	65215232	—

टिप्पणी -

(i) उपर्युक्तवर्णित पी0एल0 खाता रोकड़ बही का बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं किया गया था तथा वार्षिक लेखे पर किसी पदाधिकारी का हस्ताक्षर भी नहीं था। अंकेक्षण आपत्ति के संबंध में नगर निगम के द्वारा जवाब दिया गया कि आगे से वार्षिक लेखे पर पदाधिकारी का हस्ताक्षर करा लिया जायेगा। वार्षिक लेखे पर पदाधिकारी का हस्ताक्षर कराकर तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

(ii) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (विशेष अंगिभूत) की राशि का वित्तीय वर्ष 2013-14 में कोई प्रयोग नहीं किया गया था। अंकेक्षण आपत्ति के संबंध में नगर निगम के द्वारा जवाब दिया गया कि इस वित्तीय वर्ष में योजनाओं का चयन कर उपयोग कर लिया जायेगा। राशि का उपयोग कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

(iii) एस0जे0एस0आर0वाई0 तथा रैन- बसेरा का रोकड़ बही एक साथ संधारित किया गया था। अंकेक्षण आपत्ति के संबंध में नगर निगम के द्वारा जवाब दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 से एस0जे0एस0आर0वाई0 तथा रैन- बसेरा का अलग- अलग रोकड़ बही संधारित किया जायेगा। एस0जे0एस0आर0वाई0 तथा रैन बसेरा का अलग- अलग रोकड़ बही संधारित कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

6 पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

लेखापरीक्षा के दौरान पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के लिए अनुरोध किए जाने के बावजूद नगर निगम द्वारा कोई अनुपालन प्रतिवेदन लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण लम्बित कंडिकाओं का निष्पादन नहीं किया जा सका। लम्बित कंडिकाओं का निष्पादन नहीं होने से लेखापरीक्षा का उद्देश्यों की पूर्ति विफल हो जाती है।

नगर निगम द्वारा जवाब दिया गया कि सभी पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लम्बित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर भेजा जा रहा है।

नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर से अनुरोध है कि इस प्रतिवेदन सहित सभी लम्बित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन नगर निगम बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात, यथाशीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित किया जाय।

7 लेखापरीक्षा की परिणाम

1.	लेखापरीक्षा के दौरान वसूली कराई गयी राशि	107823.00
2.	वसूली के लिए सुझायी गयी राशि	2130301.00
3.	लेखापरीक्षा आपत्ति के अधीन रखी गयी राशि	3261510.00

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट- VIII पर)

8 सामान्य अभियुक्ति

मुंगेर नगर निगम, मुंगेर के लेखाओं के एवं अभिलेखों का संधारण संतोषप्रद नहीं था। इसमें काफी सुधार की आवश्यकता है। कई प्रमुख अभिलेखों जैसे मुख्य करों की मांग एवं वसूली पंजी, सम्पत्ति पंजी का संधारण निगम द्वारा नहीं किया गया था। सैरातों के बन्दोबस्ती निगम द्वारा ससमय एवं गंभीरता पूर्वक नहीं की जा रही थी। सैरातों की विभागीय वसूली में पारदर्शिता लाने की आवश्यकता है। साथ ही दुकानों के किरायों व अन्य मुख्य करों के वसूली के साथ- साथ पुनर्निर्धारण के लिए आवश्यक कदम उठाये जायें, ताकि निगम की आय में वृद्धि हो सके।

भाग - II

खण्ड- (क)- शून्य

भाग - II

खण्ड- (ख)

1. लेखापरीक्षा के दौरान जमा की गई राशि ₹1.12 लाख

नगर निगम मुंगेर के विविध/होलिडिंग रसीद बुकों, दैनिक संग्रह पंजी तथा रोकड़पाल रोकड़ बही के मिलान के क्रम में पाया गया कि इन रसीद बुकों के माध्यम से वसूली की गयी राशि ₹112137 को निगम कोष में जमा नहीं किया गया था।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट- III पर)

लेखापरीक्षा के दौरान ₹112137 संबंधित व्यक्तियों द्वारा निगम कोष में जमा कर दी गयी जिसमें से ₹107823 का जमा संबंधित बैंक पासबुक में देखा गया एवं शेष ₹4314.00 का बैंक पासबुक में जमा नहीं दिखाया गया, जिसे अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय। विवरण निम्न प्रकार से है-

क0सं0	कुल संग्रहित राशि	जमा की गई राशि		संबंधित व्यक्तियों का नाम
		विविध रसीद सं0	राशि	
1	107823	10000 / 29.04.14	1,07,823	श्री संजय कुमार सिन्हा
2	704	232 / 02.05.14	704	श्री संजय कुमार सिन्हा
3	2110	231 / 02.05.14	2,110	श्री दशरथ प्रसाद
4	1500	304 / 13.05.14	1,500	श्री रामोतार प्रसाद
	112137		112137	

2. समायोजन के पश्चात दुकान किराया की पूर्ण वसूली नहीं होने से राजस्व क्षति ₹3.63 लाख

ओम प्रकाश मार्केट एवं अस्पताल रोड मार्केट के दुकानों से संबंधित संचिका का नमूना जांच में पाया गया कि एकरारनामा के अनुसार दुकान आवंटितों से दुकान के निर्माण/आवंटन हेतु एक निर्धारित रकम एकमुश्त जमा करवायी गयी थी, जिसका समायोजन निर्धारित मासिक किराया से प्रतिमाह की जानी थी। जमा की गई राशि का समायोजन होने के बाद पूर्ण मासिक किराया वसूली की जानी थी। जांच के क्रम में पाया गया कि राशि की समायोजन हो जाने के बावजूद समायोजन से पूर्व के ही दर पर मासिक किराया की वसूली की जा रही थी। इस प्रकार, कर्मियों की लापरवाही के कारण निगम को ₹3,63,140 की राजस्व क्षति हुई, जो जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूलनीय है।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट- IV पर)

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर निगम के द्वारा यह जवाब दिया गया कि बकाया किराया की वसूली अतिशीघ्र की जायेगी।

अतः, समायोजन के पश्चात बकाया दुकान किराया ₹3,63,140 की वसूली संबंधित जिम्मेवार व्यक्तियों से की जाय एवं अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

3. सैरात बन्दोबस्ती का एकरारनामा स्टाम्प पेपर पर नहीं होने से सरकार को राजस्व क्षति ₹1.35 लाख

इंडियन निबंधन अधिनियम 1908 की धारा 17 (1)(डी) के अनुसार अचल सम्पत्तियों के बंदोबस्ती निबंधन/पंजीकरण होना आवश्यक है।

इंडियन स्टाम्प एक्ट के सिडयूल (अ) के अनुसार एकरारनामा का पंजीकरण बंदोबस्ती की राशि के 03 प्रतिशत मूल्य के स्टाम्प पेपर पर होगी। इस संबंध में मुख्य सचिव बिहार सरकार (पत्रांक 1920/रजि0/मु0 सचिव दिनांक 14.08.02) एवं सचिव सह महानिरीक्षक रजिस्ट्रेशन (पत्रांक 549 दिनांक 15.03.05) के द्वारा सभी विभागों को पूर्व में ही सूचित किया गया है।

मुंगेर, नगर निगम के बंदोबस्ती संबंधित संचिका के नमूना जांच में पाया गया कि निगम अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के सैरातों की बंदोबस्ती में नगर आयुक्त एवं बंदोबस्तदार के बीच एकरारनामा स्टाम्प पेपर पर नहीं किया गया था और न ही स्टाम्प पेपर का मूल्य संबंधित बन्दोबस्तकारों से वसूला गया था।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में की गई सैरातों की बंदोबस्ती तथा स्टाम्प शुल्क नहीं वसूली गई राशि का विवरण इस प्रकार है—

क्र०सं०	सैरात का नाम	बन्दोबस्तकार का नाम	सुरक्षित जमा राशि	बन्दोबस्ती की राशि	स्टाम्प शुल्क @ 3%
1.	बैरियर की बन्दोबस्ती	श्री संजय कु० सिंह	8,20,050	8,29,000	24,870
2.	होर्डिंग की बन्दोबस्ती	श्री विपुल बिहारी सावर्ण	1,29,150	1,29,800	3,894
3.	राजघाट फेरी सेवा	श्री नवीन कुमार	14,06,810	14,06,810	42,204
4.	मुंगेर प्राइवेट टैक्सी स्टैण्ड	श्री प्रेम शंकर कुमार	17,45,625	17,58,000	52,750
5.	सब्जी मार्केट	मो० असलम	2,29,425	2,29,425	6,883
6.	पूर्वी किला गेट शौचालय	श्री कृष्णा मंडल	1,10,250	1,50,000	4,500
					1,35,101

इस प्रकार सैरातों की बंदोबस्ती का एकरारनामा स्टाम्प पेपर पर नहीं करने के कारण राज्य सरकार को ₹1,35,101 के राजस्व की क्षति हुई।

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर निगम के द्वारा जवाब दिया गया कि बन्दोबस्त राशि का 3 के मूल्य के स्टाम्प पेपर पर निबंधन वित्तीय वर्ष 2014-15 से लागू कर लिया गया है, जिसे अगले लेखापरीक्षा में दिखा दिया जायेगा। जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योंकि यह मामला वित्तीय वर्ष 2013-14 से संबंधित है।

अतः उपर्युक्त राजस्व क्षति ₹1,35,101 की भरपाई इसके जिम्मेवार व्यक्तियों से कर सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा किया जाय एवं अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

4. परिवहन के अन्तर्गत पथ निर्माण/जिर्णोद्धार मद की राशि का अवरुद्धीकरण ₹83.11 लाख

उक्त मद के अन्तर्गत नगर निगम मुंगेर को नगर विकास एवं आवास विभाग से प्राप्त अनुदानों की विवरणी निम्न प्रकार है—

क्रम सं०	आवंटनादेश सं०/तिथि	राशि(लाख में)	निकासी की तिथि	निकासी की राशि(लाख में)	अभियुक्ति
1.	108/12.03.13	98.94311	25.03.13	82.12278	—
2.	108/12.03.13	—	25.03.13	.98943	—
				83.11221	
3.	108/12.03.13	—	25.03.13	15.83090	निकासी नहीं हो सकी
4.	111/28.02.14	100.00	06.03.14	30.00	—
5.	111/28.02.14	—	06.03.14	20.00	—
6.	111/28.02.14	—	06.03.14	50.00	—

संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि मार्च 2013 में प्राप्त राशि ₹83,11,221 एक वर्ष से भी अधिक समय से अवरुद्ध कर रखी गयी है।

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर निगम के द्वारा जवाब दिया गया कि इसकी तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है। जल्द ही चयनित योजनाओं पर कार्य कराया जायेगा। अवरुद्ध राशि का उपयोग कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

5. प्रशासनिक भवन की राशि का खर्च नहीं होना ₹24.71 लाख

वित्तीय वर्ष 2008-09 में नगर परिषद (वर्तमान में नगर निगम), मुंगेर को प्रशासनिक भवन एवं तकनीकी भवन के जीर्णोद्धार हेतु ₹36,25,200.00 की प्राप्ति हुई थी (नगर विकास विभाग के ज्ञापांक 5ब/प्रा0भ02-02/07 06/न0वि0एवं आ0वि0 दिनांक 09.02.09)।

इसके बाद वर्ष 2012-13 में ₹6.75 लाख की पुनः प्राप्ति निर्मित प्रशासनिक भवनों के जीर्णोद्धार हेतु हुई (ज्ञापांक 6ब-95/न0वि0 दिनांक 14.03.13)। उपर्युक्त प्राप्त राशि को निगम के पी0एल0 खाता में जमा किया गया।

संचिका की जांच में पाया गया कि प्राप्त राशि में से ₹1829029 खर्च किया गया था तथा अंकेक्षण अवधि तक ₹1814908 (1271115+ 543793) का उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकार को भेजा जा चुका था एवं शेष राशि ₹2471171 अवशेष के रूप में अव्यवहृत पड़ी थी।

सामान्यतः अनुदान राशि को प्राप्ति वर्ष के अंत तक पूर्ण खर्च कर उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकार को उपलब्ध करा देना चाहिए। अनुदान राशि का अग्रेषण नहीं होना चाहिए। लम्बी अवधि बीत जाने के बाद भी राशि का अंशतः खर्च की गई।

नगर निगम द्वारा जवाब दिया गया कि उक्त राशि ₹3300000 का योजना चयन किया जा चुका है। शीघ्र ही योजना का कियान्वयन किया जायगा।

अतः प्रशासनिक भवन की राशि ₹24.71 लाख को यथाशीघ्र खर्च करने हेतु उचित कदम उठाया जाय एवं कृत कारवाई से अवगत कराया जाय।

6. निगम की भूमि पर निर्मित दुकान का किराया नहीं वसूले जाने के कारण निगम को ₹0.79 लाख राजस्व की हानि

मुंगेर नगर निगम, मुंगेर द्वारा प्रस्तुत दुकान (स्टाल) से संबंधित संचिकाओं के नमूना जाँच के क्रम में पाया गया कि ओम प्रकाश, मार्केट स्थित स्टाल सं0-24 श्रीमती शबनम अग्रवाल को आवंटित किया गया था। एकरारनामा की शर्तों के अनुसार उक्त स्टाल का किराया ₹600 प्रतिमाह निर्धारित किया गया था। जिसमें से ₹200 प्रतिमाह निर्माण व्यय ₹20,000 में समायोजित किया जाना था जबकि शेष ₹400 प्रतिमाह समायोजन तक मासिक स्टाल किराया के रूप में वसूला जाना था। उक्त किराया 01.04.03 से लागू होना था।

निगम द्वारा प्रस्तुत माँग एवं वसूली विवरण से ज्ञात हुआ कि स्टाल सं० 24 का किराया वसूला ही नहीं जा रहा था। किराया नहीं वसूले जाने के कारण हुई राजस्व की हानि का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र०सं०	स्टाल सं०	दुकानदार का नाम	किराया लागू होने की तिथि	प्रति माह किराया (रु०)	31.03.14 तक पूर्ण माह की सं०	हानि @ रु० 600 प्रतिमाह
1	24	श्रीमती शबनम अग्रवाल	01.04.03	600/-	132	600 x 132 = 79,200

पुनः संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि श्रीमती शबनम अग्रवाल द्वारा एकरानामा के विरुद्ध निर्माण कराया गया था (संचिका के नोट शीट एवं संलग्न नोटिस के अनुसार)। इस कार्य हेतु श्रीमती शबनम अग्रवाल को निर्गत करने हेतु नोटिस भी दिनांक 12.12.03 को प्रारूपित किया गया था। जिसे निर्गत किये जाने का कोई भी साक्ष्य संचिका में संलग्न नहीं था।

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर निगम के द्वारा जवाब दिया गया कि ओम प्रकाश मार्केट में स्टाल नं०-24 शबनम अग्रवाल को आवंटित किया गया था एवं एकरारनामा की शर्त के अनुसार एकरारनामा किया गया था लेकिन श्रीमती अग्रवाल द्वारा उक्त स्थल पर स्टाल का निर्माण नहीं किया गया। जिस कारण स्टाल का किराया नहीं लिया गया।

यदि श्रीमती अग्रवाल द्वारा उक्त स्थल पर स्टाल का निर्माण नहीं कराया गया था तो श्रीमती अग्रवाल के मध्य हुए एकरारनामा के विरुद्ध निर्माण (संचिका के नोट शीट एवं संलग्न नोटिस के अनुसार) करने हेतु नोटिस क्यों प्रारूपित किया गया था? मामले की जाँच कर बकाया किराया ₹79,200 की वसूली संबंधित एवं जिम्मेवार व्यक्तियों से कर निगम कोष में जमा कर अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय।

7. हैण्डट्रॉली का अनियमित क्रय तथा अधिक भुगतान ₹2.61 लाख

कार्य का नाम - 90 नग हैण्ड ट्रॉली का क्रय।

निधि का नाम - 13वीं वित्त आयोग (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन)

भुगतान - ₹7,07,278 चेक सं०- 659411 दिनांक 12.04.14

आपूर्तिकर्ता - IOTA Engineering Corporation, Gurgaon

बिहार वित्तीय नियम 2005 की नियम 131 (II) के अनुसार ₹25 लाख तक के क्रय के लिए "Limited Tender Enquiry" विधि अपनाया जाना चाहिए। इस विधि के अनुसार निविदा कागजातों को आपूर्तिकर्ता फर्मों को सीधे स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक/कुरियर अथवा ई-मेल के माध्यम से भेजा जाना चाहिए।

पुनः नियम 131 M के अनुसार सभी प्रकार की शर्तों, सूचनाओं, निर्देशों, विशिष्टियों, तकनीकी विवरण, मूल्य सूचि इत्यादि का स्पष्ट वर्णन निविदा कागजातों में होना चाहिए।

नियम 131 (O) के अनुसार निविदा में भाग लेने वाले आपूर्तिकर्ताओं से Bid Security (2 से 5% प्राक्कलन का) लेने का प्रावधान है, जिससे कि निविदा में भाग लेने वाले फर्म निविदा से हट न सकें अथवा निविदा में किसी प्रकार का परिवर्तन न कर सकें।

नगर निगम द्वारा लेखापरीक्षा में प्रस्तुत संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि निविदा की सूचना समाचार पत्र "दैनिक जागरण" 25.07.13 में प्रकाशित किया गया था।

निविदा सूचना में शर्तों, तकनीकी विशिष्टियों, मूल्य सूची इत्यादि का वर्णन नहीं किया गया था। आवश्यक कागजातों के रूप में सिर्फ 'आयकर स्वच्छता प्रमाण पत्र/ पैन कार्ड' की मांग की गयी थी।

तुलनात्मक विवरणी के अनुसार तीन निविदादाताओं की निविदा प्राप्त हुई जिसका विवरण निम्न प्रकार है—

क्र०सं०	निविदादाता का नाम, पता	दर (रु०) प्रति इकाई (कर सहित)
1	आयोटा इंजिनियरिंग कार्पोरेशन, गुडगाँव	8,604
2	मे० किरण इण्डस्ट्रीज, पूरब सराय, मुंगेर	4,725
3	एलाइड बिजनेस सेंटर, आजाद चौक, मुंगेर	5,700

लेखापरीक्षा अभियुक्ति

(i) M/s किरण इंडस्ट्रीज तथा एलाइड बिजनेस सेंटर का कोटेशन यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया कि "कोई कागज नहीं है, अविश्वसनीय"। जबकि निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार सिर्फ "आयकर स्वच्छता प्रमाण पत्र/पैन कार्ड" की माँग की गई थी। तथा संचिका में "एलाइड बिजनेस सेंटर" के Proprietor का पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न पाया गया। निविदादाताओं से Bid security भी नहीं लिया गया था। तथा सबसे उच्चतम बोली वाले फर्म "IOTA Engineering Corporation, Gurgaon" को आपूर्ति आदेश निर्गत कर दिया गया।

यदि आपूर्ति आदेश "एलाइड बिजनेस सेंटर" आजाद चौक, मुंगेर को दिया गया होता तो निगम को रु० 2,61,360 (7,74,360—5,13,000) कम भुगतान करना पड़ता।

इस प्रकार निगम को ₹2,61,360 का अधिक भुगतान 90 नग हैण्ड ट्रॉली क्रय पर करना पड़ा।

(ii) उक्त ट्रॉलियों का भण्डार पंजी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया था।

अंकक्षण आपत्ति के आलोक में नगर निगम के द्वारा जवाब दिया गया कि क्रमांक 02 एवं 03 का निविदादाता निबंधन कम्पनी नहीं है। इनके द्वारा निविदा के साथ उपस्कर की विशेषता विवरणी संलग्न नहीं किया गया था। इसलिए क्रमांक 01 के निविदादाता को उनके कागजातों में NSIC में निबंधित तथा ISO मानक प्रमाण पत्र के साथ अन्य सभी कागजात सही पाया गया था। तदानुसार सशक्त समिति की बैठक दि० 04.10.13 को सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गयी है। M/S IOTA Engineering Corporation Gurgaon, Hariyana का शाखा, पटना में अवस्थित है। उक्त उपस्कर का भण्डारण सफाई विभाग के स्टाक पंजी के पृष्ठ सं०-36 में दर्ज है।

जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योंकि निविदा सूचना में शर्तों, तकनीकी विशिष्टियों, मूल्य सूचि इत्यादि का वर्णन नहीं किया गया था। आवश्यक कागजातों के रूप में सिर्फ 'आयकर स्वच्छता प्रमाण पत्र/ पैन कार्ड' की मांग की गयी थी।

अधिक भुगतान ₹2,61,360 की वसूली संबंधित एवं जिम्मेवार व्यक्तियों से कर निगम कोष में जमा कर अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय। उक्त ट्रॉलियों का भण्डार पंजी अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

8. एन.जी.ओ के भुगतान में अनियमितता ₹3,78,900.00

नगर निगम मुंगेर में शहर से कूड़ा उठाव का कार्य एन.जी.ओ. (सफल एजुकेशनल वेलफेयर सोसायटी गुलजार पोखर, मुंगेर) को दिया गया। अंकेक्षण में एन.जी.ओ से संबंधित दो संचिकाएं उपलब्ध करवाई गईं। उपलब्ध संचिकाओं के नमूना जाँच में पाया गया कि दिनांक 19.12.09 को एन.जी.ओ के सचिव श्री संजीव कुमार सिन्हा एवं कार्यपालक पदाधिकारी मुंगेर के साथ एकरारनामा किया गया एवं इसके आलोक में कार्यादेश सचिव सफल एजुकेशनल सोसायटी को निर्गत किया गया (पत्रांक-1542/सा0 दिनांक 19.12.09)। इस एकरारनामा एवं कार्यादेश का कुछ मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं—

(क) कूड़ा उठाने का दर प्रति ट्रीप (100 घनफीट) 249 रूपया निर्धारित किया गया।

(ख) निगम के मशीनरी यथा जे.सी.बी., ट्रैक्टर, सेक्सन मशीन का प्रयोग एन.जी.ओ. द्वारा निश्चित रूप से किया जाएगा एवं इसके बदले भाड़ा का भुगतान उसे करना होगा।

(ग) कार्य से संबंधित किसी प्रकार का अग्रिम नहीं दिया जाएगा।

(घ) कार्य का देखरेख सफाई समिति एवं सफाई प्रभारी की देखरेख में होगा।

(ङ) निगम प्रशासन द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देश का पालन करूंगा।

(च) कार्य का देख-रेख सशक्त स्थायी समिति एवं सफाई समिति तथा सफाई प्रभारी, नगर निगम मुंगेर करेंगे।

(छ) जिस स्थल से या वार्ड से सूची के अनुकूल कूड़ा उठाया जाएगा। उस स्थल के वार्ड जमादार या वार्ड पार्षद से प्रतिवेदन लेना आवश्यक होगा।

संबंधित संचिका एवं रोकड़ बही के जाँच के क्रम में यह पाया गया कि नगर निगम द्वारा वर्ष 2013-14 में सफल एजुकेशनल वेलफेयर सोसायटी, मुंगेर को कुल ₹60,16,683.00 का भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार है -

क्र०सं०	चेक सं०	दिनांक	राशि (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	6
1	611895	18.05.2013	7,50,000.00	विपत्र के विरुद्ध भुगतान
2	611901	24.05.2013	7,50,000.00	विपत्र के विरुद्ध भुगतान
3	611911	10.06.2013	5,00,000.00	विपत्र के विरुद्ध भुगतान
4	611924	10.07.2013	4,00,000.00	विपत्र के विरुद्ध भुगतान
5	966869 से 966870	03.08.2013	11,15,404.00	विपत्र के विरुद्ध भुगतान
6	966896	10.09.2013	5,94,959.00	विपत्र के विरुद्ध भुगतान
7	234292	08.10.2013	7,00,000.00	विपत्र के विरुद्ध भुगतान
8	234349	26.12.2013	7,28,513.00	विपत्र के विरुद्ध भुगतान
9	659393	05.03.2014	2,86,616.00	विपत्र के विरुद्ध भुगतान
10	659398	12.03.2014	1,91,191.00	विपत्र के विरुद्ध भुगतान
कुल			60,16,683.00	

इसके अलावे एन.जी.ओ को वर्ष 2012-13 में कुल ₹22 लाख अग्रिम के रूप में दिया गया जिसकी विवरणी इस प्रकार है-

क्र०सं०	चेक सं/दिनांक	राशि
1	835906 / 01.10.12	2.50 लाख
2	835996 / 19.10.12	5.00 लाख
3	836083 / 12.11.12	2.50 लाख
4	836090 / 08.12.12	3.00 लाख
5	836151 / 19.01.13	2.00 लाख
6	61879 / 25.03.12	7.00 लाख
योग		22.00 लाख

अंकेक्षण टिप्पणी :

(क) त्रुटिपूर्ण एकरारनामा एवं कार्यादेश की शर्तों के कारण नगर निगम को ₹3,78,900.00 की हानि- एकरारनामा एवं कार्यादेश की शर्तों के अनुसार, निगम के मशीनरी यथा जे.सी.बी., ट्रेक्टर, टीपर इत्यादि का प्रयोग एन.जी.ओ. द्वारा निश्चित रूप से किया जाएगा एवं इसके बदले भाड़ा का भुगतान उसे करना होगा।

परन्तु उक्त मशीनरी का भाड़े की राशि का जिक्र न तो एकरारनामा में किया गया था और न ही कार्यादेश की शर्तों में। गौरतलब है कि उक्त मशीनरी का भाड़े की निर्धारित राशि का जिक्र संबंधित संचिका में भी नहीं पाया गया। अतः, लेखापरीक्षा में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि किस आधार पर जे.सी.बी., ट्रैक्टर, टीपर इत्यादि का भाड़ा का निर्धारण किया गया था -

क्र०सं०	मशीनरी का नाम	भाड़ा
1	2	3
1	जे.सी.बी.	600 प्रति घंटा
	छोटा जे.सी.बी.	500 प्रति घंटा
2	ट्रैक्टर	320 प्रति दिन
3	टीपर	125 प्रति दिन

संबंधित संचिका के अवलोकन में पाया गया कि निगम के मशीनरी यथा जे.सी.बी., ट्रैक्टर, इत्यादि का प्रयोग झाइवर सहित एन.जी.ओ. द्वारा किया गया था एवं एन.जी.ओ. द्वारा क्रमशः ₹6,68,872.00 (2011-12) एवं ₹6,70,362.00 (2012-13) का भुगतान भाड़ा के रूप में किया गया था। संबंधित विपत्र के अनुसार इस कार्य हेतु तीन ट्रैक्टरों जिसके झाइवर श्री प्रदीप सहनी, मां० जहीर एवं मां० जावेद जो नगर निगम के स्थायी कर्मचारी थे को भाड़ा पर दिया गया था। तीनों झाइवरों के वेतन एवं ट्रैक्टरों के भाड़े का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह पाया गया कि भाड़े से प्राप्त राशि से अधिक वेतन पर खर्च किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप नगर निगम को ₹3,78,900.00 की हानि उठानी पड़ी जिसका विवरण निम्न प्रकार है -

(1) अभिश्रव के अनुसार ट्रैक्टर के कुल परिचालन दिवसों की संख्या एवं प्राप्त भाड़े तथा चालकों को वेतन भुगतान की विवरणी -

माह	कुल कार्य दिवस (2011-12)	वेतन कि राशि	कुल कार्य दिवस (2012-13)	वेतन की राशि	कुल कार्य दिवस	वेतन की राशि
1	2	3	4	5	6	7
					2013-14	
अप्रैल			28	35805	30	47072
मई			31	35805	31	47072
जून			29	35805	30	47072
जुलाई			30	35805	31	47072
अगस्त			30	35805	31	47072
सितम्बर	30	35805	30	35805	30	47072
अक्टूबर	29	35805	29	35805	31	47072
नवम्बर	29	35805	30	35805	24	47072
दिसम्बर	31	35805	31	35805	29	47072
जनवरी	29	34680	31	35805	29	54900
फरवरी	20	35805	28	35805	22	55422
मार्च	25	35805	31	35805		
	193	249510	358	429660	318	533970

इस प्रकार, कुल 869 दिन तीन ट्रैक्टर चला एवं उसके भाड़े के रूप में कुल ₹8,34,240.00 (869 गुणा 3 गुणा 320 = 8,34,240) प्राप्त हुआ। परन्तु उक्त तीन चालकों को वेतन के रूप में कुल ₹12,13,140.00 का भुगतान किया गया। अर्थात् ₹3,78,900.00 की हानि नगर निगम को हुई।

नगर निगम द्वारा जवाब दिया गया कि ट्रैक्टर भाड़ा का दर शुरु से निर्धारित चला आ रहा था। अंकेक्षण आपत्ति के बाद भाड़ा एवं एकरारनामा में संशोधन करने की कारवाई की जायगी। उल्लेखनीय है कि ट्रैक्टर एक दिन में कम से कम पाँच एवं अधिकतम आठ ट्रीप दुलाई करता है। अतः, उपरोक्त आपत्ति निराधार है।

जवाब संतोषजनक नहीं है क्योंकि आपत्ति त्रुटिपूर्ण एकरारनामा पर किया गया था न कि भाड़ा पर। अतः, त्रुटिपूर्ण एकरारनामा के कारण हुए नुकसान ₹3,78,900.00 की भरपाई संबंधित जिम्मेवार व्यक्तियों से की जाय।

(ख) निगम के उपस्कर के प्रयोग के बदले में एन.जी.ओ द्वारा किस दर से भाड़ा लौटाया जाना था, का उल्लेख एकरारनामा में नहीं था।

(ग) एकरारनामा में एन.जी.ओ सही काम नहीं करने पर दंड के प्रावधान का कोई उल्लेख नहीं था।

(घ) निगम कार्यालय द्वारा तैयार विपत्र विवरणी में निगम के गाड़ी के भाड़ा का वर्णन विपत्र में नहीं था।

(ङ) तैयार विपत्र में सेवाकर के कटौती का कोई उल्लेख नहीं था एवं न ही विपत्र से सेवाकर काटा गया था।

(च) निगम कार्यालय द्वारा एन.जी.ओ के क्रियाकलाप के जाँच का कोई स्पष्ट तरीका नहीं था। साथ ही कार्य का देख-रेख सफाई समिति एवं सफाई प्रभारी की देख-रेख में करना था परन्तु संचिका एवं अभिश्रव के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सफाई समिति एवं सफाई प्रभारी का ट्रीप के संबंध में अलग से कोई प्रतिवेदन संलग्न नहीं था अपितु एन.जी.ओ. द्वारा समर्पित बिल पर सिर्फ हस्ताक्षर अंकित था। फलस्वरूप लेखा परीक्षा में विपत्र की सही जाँच नहीं की जा सकी।

(छ) एन.जी.ओ का क्रियाकलाप नगर निगम एवं शर्तों के अनुरूप नहीं था तो इसे समय विस्तार किस आधार पर दिया जाता रहा साथ ही इसके साथ हुए एकरारनामा को रद्द क्यों नहीं किया गया।

अतः, उपरोक्त अनियमितताओं का कारण (क्रम संख्या ख से छ तक) लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया जिसे अगले लेखापरीक्षा में स्पष्ट किया जाय।

9(क) अधिक भुगतान ₹26,641.00

योजना का नाम	वार्ड न0 1 में लाल दरवाजा गंगा नगर में पी.सी.सी. रोड नाला एवं पीरदरगाह रोड में पी.सी.सी. रोड एवं नाला निर्माण
प्राक्कलित राशि	₹5,69,500.00
मापी की राशि	₹5,39,972.00
वास्तविक व्यय	₹5,39,972.00
संवेदक का नाम	श्री दिवाकर कुमार
कार्यादेश की तिथि	16.05.2013
कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	16.05.2013
कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्यादेश की तिथि से 90 दिन
कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि	30.06.2013

संचिका एवं मापी पुस्तिका के अवलोकन के पश्चात यह पाया गया कि मापी पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 02 में आइटम संख्या 03 में कुल 2390.64 घनफीट में पी.सी.सी. कार्य दर्शाया गया था जबकि कराये गये इस कार्य की गणना करने पर कुल पी.सी.सी. कार्य 2090.64 घनफीट ही होता है (250+ 225+ 253.1+ 253.1+ 111.37+ 63.37+ 166.25+ 18.65+ 300+ 300+ 149.76= 2090.60 घनफीट)। इस प्रकार, संवेदक को कुल 300 घनफीट (2390.64- 2090.6=300) कार्य का कार्यमूल्य ₹26,641.00 (300 घनफीट = 8.49 घनमीटर गुणा 3137.90 प्रति घनमीटर की दर से) का अधिक भुगतान किया गया जो संवेदक / संबंधित जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूलनीय है।

नगर निगम द्वारा यह जवाब दिया गया कि प्राक्कलित राशि के अन्दर ही भुगतान की कारवाई की गयी है। मापी की त्रुटि तकनीकी पदाधिकारी से जॉचोपरान्त कारवाई की जायगी।

अतः, अधिक भुगतान की गई राशि ₹26,641.00 की वसूली की जाय तथा अगले लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाय।

(ख) अधिक भुगतान ₹1,07,203.00

योजना का नाम	वार्ड न0 5 में उच्चेश्वर मंडल के घर से श्री हेमो मंडल शेरपुर में पी.सी.सी. पथ का निर्माण
प्राक्कलित राशि	₹ 6,25,700.00
मापी की राशि	₹ 6,23,139.00
वास्तविक व्यय	₹ 6,23,139.00
संवेदक का नाम	श्री रिकु कुमारी
कार्यादेश की तिथि	1049 / 16.05.2013
कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	1049 / 16.05.2013
कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्यादेश की तिथि से 90 दिन
कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि	10.01.2014

(i) प्राक्कलन में वर्णित मदों में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय— बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम 183 एवं 182ए के अनुसार जब अन्य किसी कारण से मंजूर प्राक्कलन में 10 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हो जाने की संभावना हो अथवा जबकि सारभूत विस्तार या विचलन के चलते पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन की आवश्यक हो जाय तब जरूरी है कि एक पुनरीक्षित प्राक्कलन पेश किया जाय। साथ ही यदि यह वृद्धि 10 प्रतिशत से अधिक हो तो सक्षम पदाधिकारी पदानुक्रम में एक स्तर उपर वाला होगा एवं यदि यह 20 प्रतिशत से अधिक हो तो विभागीय अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

संचिका एवं मापी पुस्तिका के अवलोकन के पश्चात यह पाया गया कि संवेदक द्वारा प्राक्कलन में वर्णित मदों में से निम्न मदों में प्रावधानित राशि से 10 प्रतिशत से अधिक व्यय किया गया था जिसके लिए कोई पुनरीक्षित प्राक्कलन पेश नहीं किया गया था —

क्र० सं०	प्राक्कलन में वर्णित मदों के नाम	कार्य की मात्रा / दर	प्रावधानित राशि	किये गये कार्य की मात्रा / दर	राशि	प्रावधानित राशि से अधिक व्यय (6-4)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Supplying and filling in plinth with local sand and under floorcomplete	100.89 घनमीटर @180.20 प्रति घनमीटर	18,180.00	127.44 घनमीटर @180.20 प्रति घनमीटर	22,964.00	4,784.68	26.3
2	Providing designation 100 B one brick flat soling joints filled with local sand	334.31 वर्गमीटर @136.70 प्रति वर्गमीटर	45,700.00	377.90 वर्गमीटर @136.70 प्रति वर्गमीटर	51,658.93	5,958.93	13.03
3	Providing P.C.C. (1:2:4).....	80.77 घनमीटर @3,137.90 प्रति घनमीटर	2,53,448.00	91.57 घनमीटर @3,137.90 प्रति घनमीटर	2,87,337.50	33,889.50	13.37

नगर निगम द्वारा यह जवाब दिया गया कि प्राक्कलित राशि के अन्दर ही भुगतान की कारवाई की गयी है। मापी की त्रुटि तकनीकी पदाधिकारी से जॉचोपरान्त कारवाई की जायगी।

इस प्रकार, उक्त नियमों का उल्लंघन किया गया जिसके फलस्वरूप संवेदक को कुल ₹44,633.11 का अधिक भुगतान किया गया जो संवेदक/संबंधित जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूलनीय है।

पुनः, सड़क निर्माण कार्य अधिक मात्रा में किये जाने के कारण नाला निर्माण प्रावधानित मात्रा से काफी कम किया गया अर्थात् जो 800 फीट में होना चाहिए वह मात्र 480 फीट में ही किया गया अर्थात् कार्य की गुणवत्ता एवं उद्देश्य प्रभावित हुई जिसका विवरण निम्न है -

क्र.सं०	प्राक्कलन में वर्णित मदों के नाम	कार्य की मात्रा / दर	प्रावधानित राशि	किये गये कार्य की मात्रा / दर	राशि	प्रावधानित राशि से अधिक व्यय (6-4)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Earth Work in excavation	50.98 घनमीटर @160.60 प्रति घनमीटर	8,187.00	30.58 घनमीटर @160.60 प्रति घनमीटर	4,911.15	-3,275.00	
5	Supplying and filling in plinth with local sand.....complete	11.32 घनमीटर @180.20 प्रति घनमीटर	2,040.00	6.73 घनमीटर @180.20 प्रति घनमीटर	1,212.75	-827.25	
6	Providing 100A B/F/S joint filled with local sand.....	111.52 वर्गमीटर / 170.20 प्रति वर्गमीटर	18,981.00	66.91 वर्गमीटर @170.20 प्रति वर्गमीटर	11,388.00	-7,593.00	
7	Brick Work with bricks of class designation 100A in foundation	14.14 वर्गमीटर @3230.00 प्रति वर्गमीटर	45,672.00	8.49 घनमीटर @3230.00 प्रति घनमीटर	23,390.40	-18,282.00	
8	12 mm cement plaster of mix 1:3 and neat cement punning	210.63 घनमीटर @1180.80 प्रति घनमीटर	25,023.00	126.21 घनमीटर @1180.80 प्रति घनमीटर	14,997.31	-10,025.69	
9	Providing and laying P.C.C. (1:3:6)	11.32 घनमीटर @2576.60 प्रति घनमीटर	29,167.00	6.73 घनमीटर @2576.60 प्रति घनमीटर	17,340.52	-11,826.48	

(ii) समय पर कार्य पूर्ण नहीं -

ढेके की शर्तों के क्लाउज-2 के अनुसार संवेदक प्राक्कलित राशि का 1/2 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अधिकतम प्राक्कलित राशि का 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करेगा (दिवस की गणना नियत अवधि के पश्चात) यदि कार्य उनके द्वारा निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं किया जाता है।

पुनः, क्लाउज 12 ए के अनुसार संवेदक तब तक क्षतिपूर्ति के लिए दावेदार नहीं होगा या दावा नहीं कर सकता जब तक तक अपरिहार्य परिस्थितियों उत्पन्न नहीं जैसे कि प्राकृतिक आपदा, दुश्मन का हमला, बाधित आवागमन, स्थिति सरकार के नियंत्रण से बाहर इत्यादि हो। पुनः क्लाउज 5 के अनुसार संवेदक का आवेदन कार्य समाप्ति के निर्धारित अवधि के 40 दिन के भीतर प्राप्त होना चाहिए।